उत्तर प्रदेश शासन,
भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग,
संख्या–866/86–2017–132–2016
लखनऊ, दिनांक 15 मई, 2017

अधिसूचना

खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (अधिनियम संख्या 67 सन् 1957) की धारा 9–ख की उपधारा (3) और धारा 15 एवं 15 क द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल सरकारी अधिसूचना संख्या 489/86–2017–132/2016 दिनांक 25 अप्रैल, 2017 में स्थापित जिला खनिज फाउन्डेशन न्यासों की संरचना और उनके कृत्यों का विनियमन करने और खनन क्रियाकलापों के प्रभावित क्षेत्रों में विकास सम्बन्धी क्रियाकलाप सम्पादित करने की रीति को विहित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं।

उत्तर प्रदेश जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास, नियमावली, 2017

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1. (1) यह नियमावली, जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास नियमावली, 2017 कही जायेगी।

(2) यह खनिज तेल को छोड़ कर समस्त खनिजों के लिये लागू होगी।

(3) यह दिनांक 12 जनवरी, 2015 को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

परिभाषाएं

2. जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में,–

(क) 'अधिनियम' का तात्पर्य समय समय पर यथा संशोधित खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 से है;

(ख) 'प्रभावित क्षेत्र' का तात्पर्य ऐसे किसी क्षेत्र से है जहॉ खनन संक्रिया की जा रही हो या जारी हो;

(ग) 'प्रभावित व्यक्ति' का तात्पर्य ऐसे किसी व्यक्ति से है जिसे खनन से सम्बन्धित क्रियाकलाप द्वारा व्यक्तिगत रूप से क्षति होती है या जिसकी सम्पत्ति का नुकसान होता है;

(घ) 'निधि' का तात्पर्य न्यास की निधि से है;

(ड़) 'सरकार' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है;

(छ) 'खनिज और उपखनिज' का तात्पर्य ऐसे खनिजों से है, जो अधिनियम की धारा–3 में परिभाषित हैं;

(ज) नियमावली, 1963 का तात्पर्य उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 1963 से है;

(झ) 'अनुसूची' का तात्पर्य अधिनियम की अनुसूची–8 से है;

(ञ) 'न्यास' का तात्पर्य सरकारी अधिसूचना संख्या–489/86–2017–132/2016, दिनांक 25 अप्रैल, 2017 में परिभाषित जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास से है;

(ट) 'न्यास विलेख' का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा न्यासियों के पक्ष में निष्पादित विलेख से है;

(ठ) 'न्यासी/न्यासीगण' का तात्पर्य न्यास को शासित करने के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति/व्यक्तियों से है।

न्यास के उद्देश्य

3. न्यास के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे :–

(एक) 'खनन संक्रियाओं' या अन्य सम्बन्धित क्रिया कलापों एवं खनिज परिवहन से प्रभावित व्यक्तियों एवं क्षेत्रों के हित तथा उनकी प्रसुविधा के लिये कार्य करना;

(दो) प्रभावित व्यक्ति एवं क्षेत्रों की प्रसुविधा के लिये जिला खनिज फाउन्डेशन में सग्रंहीत निधियों का उपयोग करना;

(तीन) ग्राम सड़क, जलीय स्थान एवं अन्य सामान्य सुविधाओं को विकसित करने हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत के परामर्श पर निधि का उपयोग करना;

न्यास का गठन एवं प्रबन्ध

[2]4. न्यास का गठन एवं प्रबन्ध निम्नानुसार होगा :–

(1) न्यास में एक शासी परिषद् एवं एक प्रबन्ध समिति होगी;

(2) न्यास का प्रबन्ध करने का प्राधिकार शासी परिषद् में निहित होगा;

(3) शासी परिषद् में निम्नलिखित होंगेः–

2. **द्वितीय संशोधन दिनांक 17 अगस्त, 2021**

(क)	जिलाधिकारी/कलेक्टर		अध्यक्ष
(ख)	प्रभागीय वन अधिकारी		सदस्य
(ग)	मुख्य चिकित्सा अधिकारी		सदस्य
(घ)	अधिशासी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग		सदस्य
(ड़)	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी		सदस्य
(च)	जिला पंचायत राज अधिकारी		सदस्य
(छ)	जिला खनन अधिकारी		सदस्य सचिव
(ज)	जिला अधिकारी द्वारा यथानामनिर्दिष्ट दो खनन पट्टाधारक		सदस्य
(झ)	खनिज का उपयोग करने वाली संस्था, यदि कोई हो, का प्रतिनिधि		सदस्य
(ञ)	जिलाधिकारी द्वारा यथानामनिर्दिष्ट सीधे तौर से प्रभावित क्षेत्रों के प्रतिनिधि		सदस्य
(ट)	(एक)	जिले का लोक सभा में संसद–सदस्य (एम0पी0), यदि किसी जिले में एक से अधिक लोक सभा के संसद–सदस्य (एम0पी0) हों तो उक्त जिला के लोक सभा के ऐसे समस्त संसद–सदस्य शासी परिषद् के सदस्य होंगे। यदि लोक सभा के संसद–सदस्य का निर्वाचन क्षेत्र एक से अधिक जिले में आता हो तो ऐसे लोक सभा के संसद–सदस्य ऐसे समस्त जिलों के शासी परिषद् के सदस्य होंगे।	सदस्य
	(दो)	राज्य के स्वयं द्वारा चयनित एक जिले का राज्य सभा संसद सदस्य राज्य सभा के संसद सदस्य को स्वयं द्वारा चयनित जिले का नाम राज्य के खनन विभाग के प्रभारी सचिव को सूचित करना होगा जो सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट को तत्सम्बन्ध में सूचित करेगा।	सदस्य
	(तीन)	जिला का विधान सभा–सदस्य	सदस्य
	(चार)	राज्य का स्वयं द्वारा चयनित एक जिले का विधान परिषद सदस्य विधान परिषद सदस्य (एम0एल0सी0) अपने द्वारा चयनित जिला का नाम राज्य के खनन विभाग के प्रभारी सचिव को सूचित करेगा, जो सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट को तत्सम्बन्ध में सूचित करेगा।	सदस्य

(4) गैर सरकारी सदस्य का कार्यकाल 03 वर्ष का होगा।

(5) कोई सरकारी सदस्य तब पद धारण करने से प्रविरत हो जायेगा, जब वह सरकारी पद धारण करने से प्रविरत हो जायेगा/जायेगी।

(6) न्यास की दिन प्रतिदिन की कार्य प्रणाली प्रबन्ध समिति में निहित होगी :–

(क) प्रबन्ध समिति में निम्नलिखित होंगेः–

(एक)	जिलाधिकारी/कलेक्टर	अध्यक्ष
(दो)	अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व)	सदस्य
(तीन)	जिला अधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई एक उपजिलाधिकारी	सदस्य
(चार)	जिला खनन अधिकारी	सदस्य सचिव

(ख) प्रबन्ध समिति का कोई सरकारी सदस्य, सदस्य का पद धारण करने से प्रविरत हो जायेगा जब वह सरकारी पद धारण करने से प्रविरत होगा/होगी।

न्यास के कृत्य 5. (1) नियम–4 में यथाउल्लिखित 50 प्रतिशत से अधिक सदस्यों की उपस्थिति में

समय–समय पर बैठकें जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित की जायेंगी और यथासम्भव ऐसी बैठकें आयोजित की जायेंगी।

(2) खनन संक्रियाओं से प्रभावित व्यक्तियों और क्षेत्रों की प्रसुविधा के लिये प्रस्ताव सम्बन्धित विभाग के परामर्श से सम्बन्धित खनन अधिकारी/खनन निरीक्षक द्वारा प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किये जायेंगे।

(3) प्रस्ताव निम्नलिखित प्रकृति का होगाः–

(क) क्षेत्र की आधारभूत अवसंरचना उदाहरणार्थ पहुँच मार्ग का निर्माण एवं अनुरक्षण, विद्युत, स्वच्छता, पेयजल सुविधा, हैण्ड पम्प तथा अन्य लोक उपयोगी कार्य;

(ख) खनन संक्रियाओं से प्रभावित क्षेत्र में तथा उसके चारो ओर सामान्य वृक्षारोपण;

(ग) खनिज विकास के हित में न्यास द्वारा अनुमोदित अन्य क्रियाकलाप।

(4) न्यास की बैठक में खनन अधिकारी/खनन निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का परीक्षण किया जायेगा। न्यास उक्त प्रस्ताव को अनुमोदित, उपान्तरित या अस्वीकृत कर सकता है;

(5) अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजातीय क्षेत्रों में न्यास द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव को लागू करने से पूर्व ग्राम पंचायत की संस्तुति प्राप्त करनी होगी।

शासी परिषद् की शक्तियां एवं कृत्य

6. शासी परिषद् निम्नलिखित के लिये उत्तरदायी होगीः–

(एक) न्यास की कार्यप्रणाली के लिये नीतिगत रूप रेखा तैयार करना और समय–समय पर उसकी कार्य पद्धति की समीक्षा करना;

(दो) न्यास की वार्षिक कार्य योजना और वार्षिक बजट तैयार किया जाना तथा अनुमोदित किया जाना;

शासी परिषद् द्वारा वित्तीय वर्ष प्रारम्भ होने से कम से कम एक माह पूर्व वार्षिक कार्य योजना तैयार कर अनुमोदित की जायेगी। वार्षिक कार्य योजना में तत्सम्बन्धी प्रायोगिक उपबन्धों सहित योजनाओं और परियोजनाओं की सूची अन्तर्विष्ट होगी;

प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी भी कारण से शासी परिषद् वार्षिक कार्य योजना और बजट विनिर्दिष्ट समय के भीतर तैयार कर अनुमोदित नहीं करती है तो अध्यक्ष को न्यास की वार्षिक कार्य योजना तथा बजट तैयार करने और तद्निमित्त कारण अभिलिखित करते हुये उसे अनुमोदित करने की शक्ति होगी। इस प्रकार तैयार किया गया बजट शासी परिषद् द्वारा सम्यक रूप में तैयार किया गया एवं अनुमोदित किया गया समझा जायेगाः

प्रतिबन्ध यह भी है कि अगले वित्तीय वर्ष के लिये वार्षिक योजना तैयार करते समय पूर्व प्रतिवद्धता और उससे उत्पन्न होने वाली देनदारियों के कुल योग का निर्धारण किया जायेगा। वित्तीय अनुशासन बनाये रखने एवं परियोजना को समय से पूरा करने के लिये पूर्व देनदारियों और प्रतिबद्धताओं और प्रस्तावित की जा रही नई योजनाओं का कुल योग, किसी भी दशा में अगले वित्तीय वर्ष के लिये न्यास में पायी गयी प्रत्याशित अर्न्तप्रवाहों के तीन गुना से अधिक नहीं होगा।

(तीन) उपलब्ध न्यास निधि से न्यास के उद्देश्यों को अग्रसरित करने में ऐसे अन्य व्यय का अनुमोदन करना जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाये;

(चार) प्रबन्ध समिति की संस्तुतियों को अनुमोदित करना;

(पाँच) पूर्ववर्ती वर्ष के समाप्त होने के 60 दिनों के भीतर न्यास के वार्षिक रिपोर्टों और सम्परिक्षित लेखाओं का अनुमोदन करना।

शासी परिषद् की बैठक

7. (एक) शासी परिषद् प्रायः यथा आवश्यक बैठक करेगी किन्तु प्रत्येक त्रैमास में कम से कम एक बार बैठक करेगी;

(दो) शासी परिषद् की बैठक का संचालन अध्यक्ष द्वारा यथानिर्दिष्ट रूप में किया जायेगा;

(तीन) ऐसी बैठक के लिये गणपूर्ति शासी परिषद् के कुल सदस्यों के एक तिहाई सदस्यों से होगी।

प्रबन्ध समिति की बैठक

8. किसी वित्तीय वर्ष में प्रबन्ध समिति की कम से कम छः बार बैठक होगी तथा इसका संचालन उसी रूप में किया जायेगा जैसा कि प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष

द्वारा विनिश्चय किया जाय।

प्रबन्ध समिति की शक्तियां और कृत्य

9. प्रबन्ध समिति–

(एक) न्यास के हितों की रक्षा हेतु अपने कर्तव्यों के निष्पादन करने में सम्यक् रूप से तत्परतापूर्वक कार्य करेगी;

(दो) अधिनियम और तद्धीन बनायी गयी नियमावली के उपबन्धों तथा केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देशों के अनुसार सम्बन्धित खनन पट्टाधारको से सामयिक अंश दान निधि संग्रह सुनिश्चित करेगी;

(तीन) न्यास के क्रिया कलापों के लिये महायोजना दृष्टि अभिलेख तैयार करेगी;

(चार) प्रस्तावित योजनाओं और प्ररियोजनाओं सहित न्यास की वार्षिक योजना और वार्षिक बजट की तैयारी में सहायता करेगी;

(पांच) वार्षिक योजना और अनुमोदित योजनाओं तथा परियोजनाओं का पर्यवेक्षण करेगी और उनका निष्पादन सुनिश्चित करेगी;

(छः) परियोजनाओ को अनुमोदित करेगी तथा उक्त प्रयोजनार्थ न्यास निधि जारी करेगी तथा आहरित करेगी;

(सात) न्यास निधि संचालित करेगी और उसमें तत्परतापूर्वक विनिधान करेगी तथा न्यास के नाम से खाता खोलेगी और ऐसे खातों तथा विनिधानों को संचालित करेगी;

(आठ) न्यास निधि की प्रगति और उसकी उपयोगिता का अनुश्रवण करेगी;

(नौ) वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 60 दिन के भीतर शासी परिषद् के समक्ष उसके अनुमोदन हेतु वार्षिक प्रतिवेदन सहित सम्परीक्षित लेखा प्रस्तुत करेगी;

(दस) ऐसे अन्य कार्य करेगी जो न्यास के सुगम कार्य संचालन तथा प्रबन्ध के लिये आवश्यक हो;

(ग्यारह) न्यास की कार्य प्रणाली के लिये प्रक्रियाओं को विनियमित करेगी।

न्यास निधि हेतु अंशदान

10. (1) मुख्य खनिजों के मामले में:–

(क) खान और खनिज (विकास और विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2015 के प्रारम्भ होने के दिनांक से पूर्व स्वीकृत खनन पट्टा के धारक को स्वामित्व धनराशि के अतिरिक्त जिला जिसमें खनन संक्रियायें जारी हो, के न्यास को द्वितीय अनुसूची के निबन्धनों में संदत्त स्वामित्व धनराशि से अनधिक धनराशि का भुगतान ऐसी रीति से और खनन पट्टा श्रेणीकरण तथा विभिन्न श्रेणी के पट्टाधारकों द्वारा संदेय धनराशि, जैसा कि केन्द्र सरकार द्वारा विहित किया जाय, के अध्यधीन करना होगा;

(ख) खान और खनिज (विकास और विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2015 के प्रारम्भ होने के दिनांक को या उसके पश्चात् स्वीकृत किसी खनन पट्टा या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति सहखनन पट्टा के धारक को किसी स्वामित्व की धनराशि के अतिरिक्त जिला जिसमें खनन संक्रियायें जारी हों, के न्यास को ऐसे प्रतिशत, जो केन्द्र सरकार द्वारा द्वितीय अनुसूची के निर्बंधनों में संदत्त स्वामित्व धनराशि के विहित ऐसे प्रतिशत के एक तिहाई स्वामित्व धनराशि से अधिक न हो, के बराबर धनराशि का भुगतान करना होगा;

(2) गौण खनिजों के मामले में:–

प्रत्येक खनिज परिहार/अनुज्ञा पत्र धारक को स्वामित्व धनराशि के अतिरिक्त जिला जिसमें खनन संक्रियायें जारी हों, के न्यास को ऐसी धनराशि का भुगतान करना होगा जो स्वामित्व धनराशि के 10 प्रतिशत के बराबर हो या ऐसी हो जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर विहित किया जाय।

(3) सम्बन्धित खनन अधिकारी/खनन निरीक्षक न्यास निधि हेतु संग्रह करने के लिये उत्तरदायी होगा और उसे न्यास द्वारा यथा विनिश्चित किये गये किसी अनुसूचित बैंक में खोले गये न्यास के खाते में उक्त धनराशि को जमा करना होगा।

न्यास के निधि से व्यय

11. न्यास निधि में उपलब्ध निधियों का उपयोग निम्नलिखित समस्त या किसी प्रयोजन के लिये किया जा सकेगाः—

(एक) अनुमोदित प्रस्ताव पर व्यय;

(दो) न्यास के प्रशासनिक व्यय पर 05 प्रतिशत।

न्यास के लेखा और सम्परीक्षा

12. (1) न्यास के लेखा की सम्परीक्षा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उत्तर प्रदेश द्वारा किसी अर्ह सम्परीक्षक के माध्यम से की जायेगी।

(2) न्यास को एक वार्षिक रिर्पोट तथा सम्परीक्षा अनुपालन रिपोर्ट निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

न्यास का प्रबन्ध

13. न्यास का प्रबन्ध शासी परिषद् में निहित होगा जिसमें न्यास के समस्त सदस्य होंगे तथापि न्यास के दिन प्रतिदिन का प्रबन्ध, नियम 4 के उपनियम (7) में यथापरिभाषित प्रबन्ध समिति द्वारा किया जायेगा। तथापि राज्य सरकार किसी भी समय प्रबन्ध समिति के गठन में परिवर्तन करने का विनिश्चय कर सकती है।

न्यासियों के विनिश्चय

14. (1) शासी परिषद् की बैठक में समस्त विनिश्चय न्यासी द्वारा किये जायेंगे और शासी परिषद् की प्रत्येक बैठक न्यास की बैठक समझी जायेंगी।

(2) शासी परिषद् के समस्त विनिश्चय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा किये जायेंगे। समान मतों की दशा में बैठक के अध्यक्ष का मतदान निर्णायक होगा।

(3) जब तक राज्य सरकार द्वारा सहमति न प्रदान कर दी जाय तब तक न्यासीगण को न्यास के विलेख के किसी भाग में संशोधन नहीं करना होगा।

(4) न्यासीगण, शासी परिषद् और प्रबन्ध समिति को राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये निर्देशों और मार्ग दर्शनों आदि के अनुसार कार्य करना होगा।

न्यास निधि का संचालन

15. न्यास निधि, न्यास के नाम से केवल किसी अनुसूचित वाणिज्यिक राष्ट्रीयकृत बैंक में रखी जायेगी। बैंक खाता राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से खोला जायेगा और उसके खाते का संचालन सदस्य सचिव और प्रबन्ध समिति द्वारा प्राधिकृत प्रबन्ध समिति के सदस्य के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जायेगा। न्यास इस निधि की लेखापुस्तिका अनुरक्षित करेगा।

न्यास की परिधि

16. प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र योजना (प्र0ख0क्षे0यो0) और केन्द्र एवं राज्य सरकार की अन्य कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन न्यास के लिये प्रोद्भूत होने वाली निधियों का प्रयोग करते हुये सम्बन्धित जिलों के न्यास द्वारा किया जायेगा। प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र योजना तथा राज्य और केन्द्र सरकार की अन्य कल्याणकारी योजनाओं का समग्र लक्ष्य निम्नानुसार हैः—

(क) खनन प्रभावित क्षेत्रों में विभिन्न विकास सम्बन्धी और कल्याणकारी परियोजनायें/कार्यक्रम क्रियान्वित करना, परियोजनाओं और ऐसी परियोजना/कार्यक्रम राज्य और केन्द्र सरकार की विद्यमान में जारी योजनाओं/परियोजनाओं के लिये क्रियान्वित किये जायेंगे;

(ख) खनन वाले जिलों में लोगों के पर्यावरण, स्वास्थ्य और सामाजिक आर्थिक व्यवस्था पर खनन के दौरान या इसके पश्चात् पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों को न्यून करना/उसमें कमी लाना; और

(ग) खनन क्षेत्रों में प्रभावित लोंगो के लिये दीर्घकालिक सम्पोषणीय जीविका सुनिश्चित करना।

न्यास निधि से व्यय

[1, 2]17. न्यास में उपलब्ध निधियों का उपयोग निम्नलिखित के लिये किया जायेगाः—

(क) उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र कम से कम 60 प्रतिशत निधि का प्रयोग निम्नलिखित मदों में किया जायेगाः—

(क) पेयजल आपूर्ति—केन्द्रीकृत निर्मलीकरण प्रणाली, जल उपचार संयंत्र, स्थायी/अस्थायी जल वितरण नेटवर्क, जिसमें पेयजल की आपूर्ति हेतु जल पाईप बिछाने की अच्छी सुविधा सम्मिलित है;

(ख) पर्यावरण सरंक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण के उपाय—वहिःस्रोत उपचार संयत्र क्षेत्र में झरना, झील, तालाब, भूगर्भ जल और अन्य जलस्रोत के प्रदूषण की रोकथाम,

[1]प्रथम संशोधन दिनांक 18 मार्च, 2020, व [2]द्वितीय संशोधन दिनांक 17 अगस्त, 2021

खनन संक्रियाओं और भंडारणों, से उत्पन्न वायु एवं धूल प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय, खान जल निकासी प्रणाली, खान प्रदूषण निवारण तकनीके, कार्यशील या निषिद्ध खानों के लिये उपाय, अन्य वायु,जल तथा भू–सतह प्रदूषण नियंत्रण के उपाय, पर्यावरणीय सौहार्द एवं सम्पोषणीय खान विकास हेतु वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करना तथा पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण के दृष्टिकोण से अवैध खनन/परिवहन पर नियंत्रण रखने हेतु तकनीकी अवसंरचनाओं के सृजन हेतु आवश्यक उपकरण एवं कार्मिक उपलब्ध कराना।

(ग) **स्वास्थ्य देखभाल–** प्रभावित क्षेत्रों में प्राथमिक/द्वितीयक/तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के सृजन पर ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिये। स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना के सृजन पर ही केवल जोर नहीं दिया जाना चाहिये, बल्कि ऐसी प्रभावी सुविधा उपलब्ध कराने के लिये अपेक्षित आवश्यक कर्मचारी, उपकरण और आपूर्तियों के उपबन्ध पर भी जोर दिया जाना चाहिये। उस सीमा तक स्थानीय निकायों, राज्य और केन्द्र सरकार के विद्यमान स्वास्थ देखभाल अवसरंचना के अनुरूप अनुपूरक प्रयास और कार्य किया जाना चाहिये। राष्ट्रीय खनिज स्वास्थ्य संस्थान में उपलब्ध विशेषज्ञ को भी खनन से सम्बन्धित बीमारी और रोगों की देखभाल करने के लिये आवश्यक विशेष अवसरंचना को अभिकल्पित करने के लिये ध्यानाकर्षित किया जा सकता है। खनन से प्रभावित व्यक्तियों के लिये सामूहिक स्वास्थ्य देखभाल बीमा योजना क्रियान्वित की जा सकती है।

(घ) **शिक्षा**–विद्यालय भवनों, अतिरिक्त शिक्षण कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, कला और हस्तकला कक्ष, सामूहिक शौचालय का निर्माण, पेयजल उपबन्ध, सुदूरवर्ती क्षेत्रों में छात्रों/अध्यापकों के लिये आवासीय छात्रावास, खेल अवसंरचना, व्यवसायिक प्रशिक्षण सुविधा, अध्यापकों एवं अन्य सहायक कर्मचारी वर्ग को कार्य में लगाया जाना, ई–शिक्षण व्यवस्था, परिवहन सुविधाओं (बस/वैन/साईकिल/रिक्शा आदि) और पौष्टिकता से सम्बन्धित कार्यक्रमों की व्यवस्था किया जाना।

(ड़) **महिला एवं बाल कल्याण**–मातृ एवं बाल स्वास्थ्य, कुपोषण, किशोरावस्था तथा संक्रामक रोगों से सम्बन्धित समस्याओं का पता लगाने हेतु विशेष कार्यक्रम न्यास के अधीन किये जायेंगे।

(च) **वयोवृद्ध एवं निःशक्त लोगों का कल्याण**–वयोवृद्ध एवं निःशक्त लोगों के कल्याण हेतु विशिष्ट कार्यक्रम।

(छ) **कौशल विकास**–जीविका अवलम्ब, आय सृजन हेतु कौशल विकास और स्थानीय पात्र, व्यक्यिों के लिये आर्थिक गतिविधियों/परियोजनाओं/योजनाओं में प्रशिक्षण व्यावसायिक/कौशल विकास केन्द्र का विकास स्वरोजगार योजनाएं, स्वयं सहायता समूह अवलम्ब और ऐसे स्वरोजगार सम्बन्धी आर्थिक क्रिया–कलापों हेतु अगड़े और पिछड़े लोगों के प्रति जुडाव का उपबन्ध सम्मिलित है।

(ज) **स्वच्छता**–अपशिष्ट का संग्रहण, परिवहन और निस्तारण, सार्वजनिक स्थलों की सफाई, जल निकाय और मल उपचार संयत्र का उपबन्ध, कीचड़ निस्तारण उपबन्ध और प्रसाधन तथा अन्य सम्बन्धित क्रियाकलापों से सम्बन्धित उपबन्ध।

(ख) अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्र–40 प्रतिशत तक की निधि का उपयोग निम्नलिखित मदों में किया जायेगाः–

(क) **भौतिक अवसंरचना**–अपेक्षित भौतिक अवसंरचना सड़क, पुल, रेलमार्ग तथा जलमार्ग सम्बन्धी परियोजनाओं का उपबन्ध और अनुरक्षण।

(ख) **सिंचाई**–सिंचाई के वैकल्पिक स्रोत को विकसित करना और उपयुक्त तथा विकसित सिंचाई तकनीकों को अंगीकृत करना।

(ग) **ऊर्जा एवं जलविभाजक विकास**–ऊर्जा एवं वर्षा जल संचयन प्रणाली के वैकल्पिक स्रोत का विकास, फलोद्यानों, एकीकृत कृषि और आर्थिक एवं जलागम पुर्नस्थापन का विकास।

(घ) **खनन वाले जिला में पर्यावरणीय गुणवत्ता में वृद्धि करने हेतु कोई अन्य उपाय–**

(एक) फाउण्डेशन के न्यासियों द्वारा उक्त प्रयोजन हेतु तैयार की गयी वार्षिक कार्य योजना के अनुसार जिलें में खनन संक्रियाओं से प्रभावित क्षेत्र का समग्र विकास।

(दो) सामाजिक और आर्थिक प्रयोजनों के लिये स्थानीय अवसंरचना का सृजन।

(तीन) खनन संक्रियाओं से प्रभावित क्षेत्र में स्थानीय जनसंख्या के लिये सामुदायिक आस्तियों और सेवाओं की व्यवस्था करना, अनुरक्षण करना और उनका उच्चीकरण करना।

(चार) रोजगार एवं स्वरोजगार क्षमताओं के सृजन हेतु कौशल विकास तथा क्षमता निर्माण हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना तथा संचालित करना।

प्रतिबन्ध यह है कि वर्ष में न्यास द्वारा प्राप्त कुल निधियों की अनधिक 5 प्रतिशत धनराशि न्यास द्वारा अपने प्रशासनिक या अधिष्ठान सम्बन्धी व्ययों की पूर्ति के लिये व्यय की जा सकती है:

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि न्यास की निधि या उसके किसी भाग का प्रयोग, किसी लाभग्राही के किसी ऋण के अग्रिम के लिये या उसे नकद अनुदान प्रदान करने के लिये नहीं किया जायेगा:

प्रतिबन्ध यह भी है कि न्यास निधि या उसके किसी भाग का उपयोग ऐसे उद्देश्यो के लिए किया जायेगा जैसा कि केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्देशित किया जाये:

लेखा और संपरीक्षा

18. (1) (एक) प्रबन्ध समिति न्यास के मामलों का सत्य और निष्पक्ष चित्र प्रस्तुत करने के लिये न्यास निधि के सम्बन्ध में समुचित लेखापुस्तिका, दस्तावेज और अन्य अभिलेख अनुरक्षित करेगी या अनुरक्षित करायेगी;

(दो) न्यास के लेखा की संपरीक्षा कम से कम एक वर्ष पूरा होने पर किसी अर्ह संपरीक्षक द्वारा की जायेगी;

(तीन) न्यास के संपरीक्षकों की नियुक्ति, शासी परिषद् की बैठक में राज्य के महालेखाकार द्वारा अधिसूचित अनुमोदित संपरीक्षक सूची से न्यासियों द्वारा ऐसी निबन्धन एवं शर्तों, जैसा कि न्यासियों द्वारा विनिश्चित किया जाय, पर की जायेगी।

(चार) संपरीक्षकों को न्यासियों द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है।

(2) उपनियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुये भी राज्य सरकार किसी संपरीक्षक या सम्परीक्षकों को नियुक्त कर सकती है अथवा महालेखापरीक्षक से किसी विशिष्ट वर्ष अथवा अवधि के लिये राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित किये गये निबन्धनों और शर्तों पर लेखापरीक्षा हेतु अनुरोध कर सकती है।

(3) न्यास, अनुमोदित बजट और अगले वित्तीय वर्ष के लिये योजनाओं और परियोजनाओं सहित वार्षिक योजना, जिला पंचायत, जिला प्रशासन और राज्य सरकार को उनके सम्बन्धित वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु अग्रसारित करेगा।

(4) न्यास, अनुमोदित योजनाओं और परियोजनाओं के सम्बन्ध में त्रैमास की समाप्ति के 45 दिन के अन्तर्गत भौतिक एवं वित्तीय निबन्धनों में एक त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट तैयार करेगा और इसे तत्पश्चात् तत्काल सम्बन्धित वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु जिला पंचायत और जिला प्रशासन को अग्रसारित करेगा।

(5) न्यास, संपरीक्षा रिपोर्ट सहित अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना रिपोर्ट और अनुमोदित संपरीक्षा रिपोर्ट शासी परिषद् द्वारा अनुमोदित किये जाने के तत्काल पश्चात् वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 60 दिन के भीतर जिला पंचायत, जिला प्रशासन एवं राज्य सरकार को उनके सम्बन्धित वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु अग्रसारित करेगा।

न्यास को संदेय धनराशि का अनुश्रवण

19. (1) प्रत्येक पट्टेदार को जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास हेतु संदेय धनराशि, उस अधिकारी को जिसे स्वामित्त धनराशि संदेय हो, सूचित करके ऐसे बैंक खाते में जैसा कि फाउण्डेशन विनिर्दिष्ट करे, विप्रेषित करना होगा।

(2) प्रत्येक अधिकारी जो स्वामित्त धनराशि संग्रहीत करने के लिये प्राधिकृत हो, को प्रत्येक पट्टेदार द्वारा संदेय और संदत्त धनराशि की पंजी अनुरक्षित करनी होगी और तत्सम्बन्धी समेकित मासिक विवरण प्रत्येक माह की समाप्ति पर समिति के सदस्य सचिव को उपलब्ध कराना होगा।

(3) योजनाओं के मध्य अपेक्षाकृत अधिक समन्वयात्मक सहक्रिया सुनिश्चित करने हेतु जिला विकास समन्वय और अनुश्रवण समिति के अधीन गठित मंच, जो ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार का पहल है, उक्त समिति के मार्गदर्शनों के अनुसार जिला स्तर पर प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के अधीन योजनाओं का अनुश्रवण करेगा।

प्रशासनिक व्यवस्था

20. (एक) राज्य सरकार न्यास के प्रबन्ध एवं वार्षिक योजना के निष्पादन हेतु उक्त प्रयोजनार्थ यथापेक्षित जिला पंचायत में कार्यरत कर्मचारियों सहित अपने नियंत्रणाधीन कार्मिकों की सेवायें प्रदान करेगी।

(दो) न्यास स्वयं को प्रशासनिक और प्राविधिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकार से सरकारी विभागों से अपेक्षित संख्या में प्रमुख कार्मिकों या जिला परिषद् या ऐसे अन्य संवर्ग के नियमित कर्मचारी उपलब्ध कराने के लिये अनुरोध कर सकता है। ऐसे कार्मिकों की सेवायें उनके अपने–अपने संवर्गो में बनी रहेंगी। न्यास इस प्रयोजन हेतु अर्जित निधियों का 3 प्रतिशत तक व्यय वहन कर सकता है।

(तीन) न्यास, सेवा प्रदाताओं से ऐसी सेवा प्रदान करने हेतु कह सकता है जैसा कि न्यास के सुगम कार्य संचालन हेतु आवश्यक हो और अपने कार्य संचालन हेतु उपगत होने वाले आकस्मिक व्यय का उपबन्ध कर सकता है।

न्याासियों का दायित्व

21. (1) न्यासीगण सद्भावनापूर्वक और परिश्रम के साथ वास्तविक रूप में की गयी किसी बात के लिये उत्तरदायी नहीं होगे। न्यासीगण ऐसे किसी बैंकर, ब्रोकर, अभिरक्षक या किसी अन्य व्यक्ति के लिये भी दायी या उत्तरदायी नहीं होंगे, जिनके पास उक्त व्यय धनराशि जमा की जाय या रखी जाय, न तो न्यास निधि के किन्हीं विनिधानों में होने वाली कमी या अपर्याप्तता के लिये और न ही अन्यथा किसी अनैच्छिक क्षति के लिये दायी या उत्तरदायी होंगे।

(2) न्यासीगण और प्रत्येक न्यायवादी या न्यासीगण द्वारा नियुक्त अभिकर्ता न्यास के निष्पादन में उपगत समस्त देनदारियों, क्षतियों और व्यय के सम्बन्ध में न्यास निधि से क्षतिपूर्ति किये जाने के लिये या घोर उपेक्षा और/या जानबूझकर किये जाने वाले कदाचार से उद्भूत होने वाले विवेकों से भिन्न स्वयं में निहित या प्रतिनिधानित किसी शक्ति, प्राधिकार या विवेकाधिकार के लिये उत्तरदायी होंगे तथापि प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी क्षतिपूर्ति किसी भी स्थिति में कुल अंशदानों से अधिक नहीं होंगी।

पारिश्रमिक

22. न्यासीगण अपनी सेवाओं के लिये किसी पारिश्रमिक के लिये हकदार नहीं होगे।

न्यास की मुहर

23. न्यासीगण शासी परिषद् की बैठक में, न्यास के प्रयोजन हेतु मुहर उपलब्ध कराने का विनिश्चय कर सकते है और उन्हें समय–समय पर यह शक्ति होगी कि वे उसे नष्ट कर दें और उसके बदले में नया मुहर रखें। न्यास की मुहर कार्यकारी समिति के अध्यक्ष की अभिरक्षा में रहेगी और अध्यक्ष को न्यास के लिये और उसकी ओर से उसका उपभोग करने का प्राधिकार होगा।

प्रतिसंहरणीयता

24. यह न्यास राज्य सरकार के विवेक पर प्रतिसंहरणीय होगा, उक्त न्यास उस समय तक अस्तित्व में रहेगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित किया जाय। न्यास समाप्त होने के समय पर, न्यास की समस्त आस्तियां और देनदारियां राज्य सरकार को अन्तरित हो जायेंगी।

आज्ञा से,
(राज प्रताप सिंह)
अपर मुख्य सचिव।